न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☏ 0744.232587

RCMS NO.-1987/00001

मिसल नम्बर–156 / 14

1. फून्दीलाल पुत्र स्व0 अमरलाल कहार मृतक जर्ये कायम मुकामः–

   रामलाल पुत्र स्व0 फून्दीलाल जाति कहार निवासी ग्राम कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा

……………वादी

बनाम

1. स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. नन्दा आत्मज नैनगा जी जाति कहार (मृतक) कायममुकामः–

   2/1. लटूर आत्मज स्व0 नन्दा जी जाति कहार

   2/2. प्रभूलाल आत्मज स्व0 नन्दा जी जाति कहार

   2/3. गोपी आत्मज स्व0 नन्दा जी जाति कहार

   निवासीगण– ग्राम जामपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0

   2/4. कस्तुरी बाई पुत्री स्व0 नन्दा जी जाति कहार पत्नी श्री हीरालाल जाति कहार निवासी ग्राम छावछा ब्रण्यानी तहसील व जिला बूंदी,

   2/5. भरोसी बाई पुत्री स्व0 नन्दा जी जाति कहार पत्नी मोतीलाल जाति कहार निवासी डीसीएम कोलोनी कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

   2/6. लटूरी बाई पुत्री स्व0 नन्दा जी जाति कहार पत्नी श्री मदनलाल जाति कहार निवासी जामपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

……………प्रतिवादीगण

–:निर्णयः–

दावा बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड व नक्शे खसरे मे अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 एवं धारा 125 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट,

दिनांक 22/05/2026

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☏ 0744.232587

वादी द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड व नक्शे खसरे मे अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 एवं धारा 125 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पेश कर निवेदन किया है जो संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

वादी कैथून का निवासी है जहां उसे ग्राम नगपुरा तह0 लाडपुरा की भूमि खसरा संख्या 115 की 24 बीघा 12 बिस्वा मे से 4 बीघा 12 बिस्वा जमीन दिनांक 17.1.83 को सकीमतन आवंटित हुई है। जिसकी कीमत प्रार्थी ने जमा करवा दी है। और प्रार्थी का कब्जा भी संभला दिया गया है।

तहसील लाडपुरा का नया सेटलमेंट कार्य पूरा हो गया है और पत्रादि तहसील लाडपुरा मे 1987 मे आ गये है। प्रार्थी का आवंटित उक्त आराजी का अमल दरामद भू प्रबंध विभाग ने नही किया है।

प्रतिवादी नं0 2 नन्दा वल्द नैनगा कहार के ग्राम रामनगर (जगपुरा) मे खसरा संख्या 114 मे रकबा 12 बीघा व 8 बिस्वा किस्म बारानी खाते मे दर्ज कर दी गई है। जबकि यह पड़त सरकार थी। उक्त खसरा नम्बर 114 के नये नये खसरा नम्बर 329, 330, 331, 332 व 333 डाले गये कुल रकबा 2.25 है0 दर्ज किया जो पुराने रिकोर्ड से 0.26 डेसीमल अधिक है जो लगभग 1 बीघा 12 बिस्वा आता है।

वादी की भूमि पुराने खसरा संख्या 115 के नये नम्बर 334, 336/338, 336/340 डाले है जो पुराने नम्बरो के मुकाबले मे नदी के नम्बर है और साबिक नक्शे से नये नक्शे का मिलान करने से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 334, 335, 336/340 रकबा क्रमशः 0.13, 0.03 व 0.78 डेसीमल की गैर मुमकिन नदी सिवायचक मे दर्ज कर दी है। यह भूमि वही भूमि है जो वादी को आंवटित की गई थी।

नये खसरा नम्बरान 330, 331, 333 व 334 है जो सेटलमेंट विभाग ने अवैधानिक तौर से प्रतिवादी नं0 2 को देने के लिए परिवर्तन कर दिया है और इन तीनों खसरा नम्बरान को वादी के नम्बरान से हटा कर प्रतिवादी के खाते मे दर्ज कर दिये है जबकि प्रतिवादी के खाते मे खसरा संख्या 329 का 0.12 , 332 का 1.90 डेसीमल और 334 का 0.03 डेसीमल ही दर्ज होना चाहिए था जो कुल 2.04 है0 और लगभग 12 बीघा 8 बिस्वा होता है। उक्त कार्यवाही भू प्रबंध विभाग ने प्रतिवादी नं0 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए की है जो निरस्त होने योग्य है।

अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जगपुरा की उक्त वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे वादी के खाते दर्ज किया जावे। उक्त नम्बरान को प्रतिवादी नं0 2 के खाते से निकाल दिया जावे तथा खसरा संख्या 335 का भाग जो सिवायचक दर्ज मे दर्ज हो गया है वादी के खाते मे दर्ज कर कागजात राजस्व मे अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☏ 0744.232587

प्रतिवादी क्रम 2 की ओर निम्न जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

वादी ने वादपत्र मे जाहिर किया है कि खसरा नम्बर 115 की भूमि आवंटित की गई थी और आवंटन के पश्चात उसे खसरा नम्बर 115/1 पर दखल दिया गया था। खसरा नम्बर 115 मिन के नये नम्बर 334, 335, 336 की किस्म बारानी सोयम है खसरा नम्बर 114 के नये नम्बर 329 लगायत 333 कायम हुये है। जो प्रतिवादी नं0 2 की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 2 की खातेदारी जमीन से वादी का कोई संबंध नही है। वादी व प्रतिवादी नं0 2 की कृषि भूमि अलग–अलग है।

इस प्रकार वादी प्रतिवादी नं0 2 की खातेदारी की भूमि के संबंध मे हक घोषणा लाने का हकदार नही है। वादी का वाद मेन्टेनेबल नही है एवं खारिज होने योग्य हैं।

प्रतिवादी नं0 2 उसके खातेदारी साबिन खसरा नम्बर 114 की 12 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 329 लगयात 333 रकबा 2.25 है0 कायम हुये है पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

साक्ष्य व शहादत उपरांत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 06.10.2003 को निर्णय पारित कर खसरा संख्या 330, 331, 333, 334, 335 पर वादी को खातेदार घोषित किया तथा प्रतिवादी के खाते से उक्त नम्बर हटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

प्रतिवादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 06.10.2003 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा मे प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.04.2005 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 06.10.2003 अपास्त कर दिया गया तथा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि न्यायालय रेस्पोन्डेंट को किये गये आवंटन के विरूद्ध चल रही कार्यवाही का अंतिम निस्तारण किस प्रकार हुआ तथा रेस्पोडेंट का किस भू भाग पर कब्जा है और अपीलांट व रेस्पोडेंट के आवंटन संबंधी दस्तावेज रिकोर्ड पर लेकर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा से प्रेतिप्रेषित प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार लाडपुरा से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। उभय पक्षकारान को रिकोर्ड प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये गये।

तहसील लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार– "वाके ग्राम नगपुरा (रामनगर वर्तमान मे) के आराजी खसरा संख्या गत सेटलमेंट 115 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा मे से पट्टा नं0 230 से फुंदी लाल पुत्र अमरलाल जाति कहार निवासी कैथून को दिनांक 17.01.1983 को 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी। परंतु भू प्रबंध के बाद प्राप्त नवीन सेटलमेंट अभिलेख मे वादी के खाते उसे आवंटित भूमि 4 बीघा 12 बिस्वा का अमल नही किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादी नन्दा पुत्र नेनगा जाति कहार सा0 जामपुरा को खसरा संख्या 114 की 12 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन व खातेदारी विधिवत दी गई। प्रतिवादी नन्दा के खाते मे 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी जिसके हैक्टेयर प्रणाली मे 1.99 है0 होना चाहिए जबकि भू प्रबबंध विभाग ने 2.25 है0 दर्ज किया है। अतः स्पष्ट है कि उसके खाते मे 0.23 है0 अधिक दर्ज की दिया गया है।

सेटलमेंट जमाबंदी सवंत् 2038–57 को मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि गत सेटलमेंट खसरा संख्या 114 से नवीन खसरा संख्या 329 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 330 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 331 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 332 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 333 रकबा 0.10 है0, किता 5 रकबा 3.25 है0 का निर्माण हुआ और ये समस्त खसरा संख्या नन्दा पुत्र नेनगा जाति कहार सा0 जामपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकोड कर दिये गये। इसी प्रकार गत सेटलमेंट के आराजी खसरा संख्या 115 से नवीन खसरा संख्या 335 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 336 रकबा 6.53 है0, खसरा संख्या 336/338 रकबा 0.01 है0 कायम किये गये खसरा संख्या 335 नगर विकास न्यास, 336/338 नगर विकास न्यास, खसरा संख्या 336 नगर विकास न्यास गै0 मु0 नदी के खाते दर्ज रिकोर्ड है।

ग्राम रामनगर के वर्तमान मे आराजी खसरा संख्या 329 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 330 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 331 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 332 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 333 रकबा 0.10 है0, किता 5 रकबा 2.25 है0 काश्तकार 1. कस्तुरी बाई पुत्री नन्दा हिस्सा 1/6 (2) गोपीकिशन पुत्र नन्दा हिस्सा 1/6 (3) प्रभू लाल पुत्र नन्दा हिस्सा 1/6 (4) चमेली पुत्री नन्दा हिस्सा 1/6 (5) लटूरलाल पुत्र नन्दा हिस्सा 1/6 (6) लटूरी बाई पुत्री नन्दा हिस्सा 1/6 जाति कहार सा0 जामपुरा खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। सम्पूर्ण खाते पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा धाकडखेडी का रहन का नोट अंकित है।

उपर्युक्त आराजी खसरा नम्बरान पर वर्तमान मे आत दिनांक को नन्दा पुत्र नेनगा जाति कहार साकिन जामपुरा के वारिसान कब्जा काश्त है मौके पर सब्जी की फसल वर्तमान मे काश्त की जा रही है।

वादी फुंदीलाल पुत्र अमरलाल जाति कहार सा0 कैथून का वर्तमान मे उपर्युक्त आराजी खसरा नम्बर पर कब्जा नही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा से प्रकरण प्रेतिप्रेषित होने के उपरांत उभय पक्षकारान द्वारा कोई नवीन साक्ष्य एवं शहादत प्रस्तुत नही की गई।

बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वर्तमान मे इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र निर्धारक बिन्दू न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण मे दिया गया निर्देश है कि " अपीलांट व रेस्पोडेंट के आवंटन संबंधी रिकोर्ड की जांच की जावे तथा रेस्पोडेंट का किस भू भाग पर कब्जा है के आधार पर प्रकरण निस्तारित किया जावे।" उक्त परिपेक्ष्य मे तहसीलदार रिपोर्ट का आवलोकन किया गया।

रिपोर्ट तहसीलदार से यह प्रमाणित है कि वाके ग्राम नगपुरा गत खसरा संख्या 115 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा मे से प्रार्थी को 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। संलग्न रिकोर्ड से यह प्रमाणित है कि साबिक खसरा संख्या 115 गैर मु0 नदी थी। तथा प्रतिवादी नन्दा को खसरा संख्या 114 की 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था। व नियमानुसार खातेदारी दी गई थी।

मिलान क्षेत्रफल सवंत् 2038–57 के अनुसार भू प्रबंध विभाग द्वारा गत खसरा संख्या 114 के नवीन खसरा संख्या 329 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 330 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 331 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 332 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 333 रकबा 0.10 है0, किता 5 रकबा 2.25 है0 बनाये गये है। इसी प्रकार गत खसरा संख्या 115 के नवीन खसरा संख्या 335 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 336 रकबा 6.53 है0, खसरा संख्या 336/338 रकबा 0.01 है0 कायम किये गये है।

तहसीलदार रिपोर्ट से यह भी प्रमाणित है कि खसरा संख्या 329 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 330 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 331 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 332 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 333 रकबा 0.10 है0 पर नन्दा पुत्र नैनगा का काबिज काश्त है। तथा मौके पर सब्जी की फसल की जा रही है।

तहसीलदार रिपोर्ट यह भी प्रमाणित करती है कि वर्तमान मे हस्तगत आराजी पर वादी फुंदीलाल का कब्जा काश्त नही है।

हमारे विनम्र मत मे साबिक खसरा संख्या 115 गैर मु0 नदी थी जिसका नियमानुसार आवंटन नही किया जा सकता था। वादी फुंदी लाल वर्तमान मे किसी भी खसरा संख्या पर काबिज काश्त नही है। अतः वादी फुंदी लाल को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किसी भी प्रकार की राहत प्रदान किया जाना संभव नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 125 भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

वही प्रतिवादी नन्दा पुत्र नैनगा को 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी जिसके है0 प्रणाली 1.99 है0 होना चाहिए लेकिन भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी नन्दा के खाते 2.25 है0 आराजी दर्ज की गई। उक्त तथ्य से प्रमाणित है कि दौराने भू प्रबंध प्रतिवादी नन्दा के खाते 0.26 है0 आराजी अधिक दर्ज की गई है। उक्त परिपेक्ष्य मे तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेजों व रिकोर्ड की जांच

उपखण्ड अधिकारी
को.

कर प्रतिवादी नन्दा के खाते मे दौराने सेटलमेंट अधिक दर्ज की गई भूमि 0.26 है0 की दुरूस्ती हेतु नियमानुसार कार्यवाही करे।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा